संख्या–01/NMCH–05/2019– 311 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 23/12/2024

विषयः– नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में Cochlear Implant के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक विविध कार्यों के सम्पादन के लिए पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर रू० 1,08,29,336/– (रूपये एक करोड़ आठ लाख उनतीस हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अवशेष राशि रू0 11,14,336/– (रूपये ग्यारह लाख चौदह हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के पत्रांक–1565, दिनांक–28.06.2019 के आलोक में नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में Cochlear Implant के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक विविध कार्यों के सम्पादन के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर रु0 97,15,000/– (रुपये संतानवे लाख पन्द्रह हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक–1228(1) दिनांक–06.09.2019 द्वारा दी गई थी।

2– बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के पत्रांक–5834, दिनांक–03.10.2024 के द्वारा सेन्टेज सहित रू० 1,08,29,336/– (रूपये एक करोड आठ लाख उनतीस हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यह मूल प्राक्कलन से लगभग 11.5% अधिक है एवं अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत है।

3– अतएव नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में Cochlear Implant के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक विविध कार्यों के सम्पादन के लिए पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर रू० 1,08,29,336/– (रूपये एक करोड आठ लाख उनतीस हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अवशेष राशि रू0 11,14,336/– (रूपये ग्यारह लाख चौदह हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

4— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या—1228(1), दिनांक—06.09.2019 के कंडिका—02 में निहित शर्त्तों के अधीन किया जायेगा।

5— यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि०(2), दिनांक—17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक—06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक—08 04.2008, 3758/वि०(2), दिनांक—31.05.2017 एवं 6439/वि०, दिनांक—28.08.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7— इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप—शीर्ष—0101—मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड—20—4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53—मुख्य निर्माण कार्य के 0101—53—01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

8— अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID--------- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9— बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10— प्रस्ताव एवं प्रारुप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0—1/NMCH-05/2019 के पृष्ठ—18/टि0 पर प्राप्त है।

12— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13— यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश CFMS द्वारा अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

23.12.21

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—1/NMCH-05/2019— 311(7) /स्वा0, पटना, दिनांक—23/12/2024

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~**प्रतिलिपिः—** माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य~~ विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.12.24

सरकार के अपर सचिव

Kunal